

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

न० ११

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी १, १९७२/पौष ११, १८९३

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1, 1972/PAUSA 11, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st January 1972

G.S.R. 1(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 159/71-CE dated the 1st August, 1971, the Central Government hereby fixes a tariff value of one hundred and fifty rupees per quintal for sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty *ad valorem*.

[No. 3/72.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, १ जनवरी १९७२

सं. का. नि० १ (अ)—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम १९४४ (१९४४ का १) की धारा ३ की उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त

मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 1 अगस्त, 1971 की अधिसूचना सं० 159/71-के०उ०शु० को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1 की उप-मद (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभावित चीनी के लिए एक सौ पचास रुपये प्रति क्विंटल टैरिफ मूल्य एतद्वारा नियत करती है।

[सं० 3/72]

G.S.R. 2(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule* to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and placed by a manufacturer at the disposal of the Central Government at price agreed to between the manufacturer and the Government, for distribution at fair price to domestic consumers or for any other purpose of which the Central Government may decide in the public interest to utilise the said sugar, from so much of the duty of excise and additional duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty and the additional duty calculated on the basis of a value of Rs. 135/- per quintal by a State Government or by any other person or authority nominated by the Central Government or State Government to lift the sugar on its behalf

[No. 4/72-CE.]

R. B. SINHA, Dy. Secy.

सांका०नि० 2(अ).—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) धानयम,
1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय
सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची
की मद संख्या 1 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाली, और देशी उपभोक्ताओं में उचित कीमत पर
वितरित करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार यह
विनिर्दिष्ट कर या कर-चाना का लाकौत में उपयोग किया जाए, विनिर्माता और सरकार के बीच
करार पाई गई किसी कीमत पर केन्द्रीय सरकार के व्ययन पर विनिर्माता द्वारा छोड़ी गई चीनी को,
उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना
135 रु० प्रति क्विंटल मूल्य के आधार पर संगठित शुल्क और अतिरिक्त शुल्क से अधिक है :

परन्तु यह तब जब कि चीनी, केन्द्रीय सरकार को या किसी राज्य सरकार को या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उसकी ओर से चीनी हटाने के लिए नामनिर्देशित किसी अन्य व्यक्ति, या प्राधिकारी को वस्तुतः परिदत्त कर दी जाए और उनके द्वारा वस्तुतः हटा ली जाए।

[सं० 4/72-के०उ०शु०]

आर० बी० सिन्हा, उप सचिव ।